रिपोर्टेबल

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 2229-2234/2022

मेखा राम और अन्य .... अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .... प्रतिवादी

के साथ

सिविल अपील संख्या 2235-2249/2022

सिविल अपील संख्या 2250-2251/2022

सिविल याचिका सं 2252/2022

सिविल अपील संख्या 2253-2256/2022

**निर्णय**

**वी. एम. आर. शाह, न्यायाधीश**

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर की खंड पीठ द्वारा डी बी विशेष अपील (रिट) संख्या 1883/2014 और अन्य संबंधित अपीलों में दिनांक 06/05/2016 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट हो कर मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को

प्राथमिकता दी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मौखिक अपील पर हस्ताक्षर की अनुमति दी है और आर नटराजन द्वारा डिजिटल रूप से किये गये हस्ताक्षर से संबंधित निर्णयों और आदेशों को रद्द और अपास्त कर दिया है| उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और अभिनिर्धारित किया गया कि सेवारत उम्मीदवारों द्वारा तीन वर्ष के नर्सिंग पाठ्यक्रम को प्रतिनियुक्ति की अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है और केवल उम्मीदवारों को देय अवकाश के रुप में ही माना जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप उसने प्रशिक्षण की अवधि को आसान समान किस्तों में अनुज्ञेय अवकाश की अवधि मानते हुए मूल रिट याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई अतिरिक्त मात्रा की वसूली के लिए राज्य पक्ष में स्वतंत्रता आरक्षित कर दी है ।

2. मूल रिट याचिकाकर्ता या तो एएनएम (सहायक नर्सिंग और मिडवाइफरी) या लैब तकनीशियन, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, लेखा क्लर्क या इसी तरह के अन्य पदों के रूप में काम कर रहे हैं। वे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के सदस्य हैं।उन्होंने सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया जो तीन वर्ष की अवधि का है और जिसे सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियम, 1990 (यहां इसके बाद 'नियम 1990'के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

2.1 सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने सेवा के दौरान उम्मीदवारों के रूप में निर्धारित प्रोफार्मा में अपने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें नियम 1990 के नियम 9 के तहत परिकल्पित जनरल नर्सिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की गई थी। सभी सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते वे नियम 1990 के नियम 11 के

तहत प्रवेश और पात्रता के मानदंड को पूरा करते हों। सभी मूल याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन अवकाश के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए तीन साल के नर्सिंग पाठ्यक्रम में शामिल होने का इलाज प्रतिनियुक्ति पर नहीं किया जा सकता है। सभी मूल याचिकाकर्ताओं ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया या उनमें से कुछ या तो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे या कुछ ने इंटर्नशिप पूरी करने के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और प्रार्थना की कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें स्वीकृत अध्ययन अवकाश को प्रतिनियुक्ति पर माना जाए। विद्वत एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिकाओं के समूह को अनुमति दीः

> "उपरोक्त को देखते हुए, इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जा रहा हैः
>
> 1. प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और अपेक्षाओं का अनुपालन करें, जैसा कि सुशील शर्मा (उपर्युक्त) राजस्थान राज्य बनाम सुशील शर्मा, सिविल अपील सं. 5283/2001, दिनांकित 10.08.2001] के मामला में दिया गया है, जिसके चलते वे आरएसआर के नियम 97 के साथ डाक नियम 112 के उल्लंघन में किसी को भी प्रतिनियुक्ति भत्ता का फ़ायदा देने की अनुमति देना नहीं देंगे। यह प्रतिवादी विभाग में पद की श्रेणियों पर ध्यान दिए बिना है;

2. यदि कनिष्ठ विशेषज्ञ की कमी है तो नियमों में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सीधी भर्ती की जा सके, जैसा कि वर्तमान में पूर्वोक्त पद केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। हालांकि, जूनियर स्पेशलिस्ट की कमी के बहाने प्रतिवादी को नियमों का उल्लंघन करने या उन्हें टालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा तब और अधिक होता है जब यह सुशील शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और अपेक्षाओं के विपरीत भी जाता है।प्रतिवादी तदनुसार अध्ययन अवकाश की अनुमति देंगे और उसके बाद आरएसआर के नियम 111और 112के साथ नियम 97के अनुसार लाभ उठाएंगे ।

3. चूंकि कई पदों के लिए, पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश के लाभ की अनुमति दी गई है, इसलिए असमानता से बचने के लिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को भी समान लाभ देने पर सहमति व्यक्त की है, हालांकि, उपरोक्त व्यवस्था उन लोगों तक सीमित होगी जो पहले से ही जीएनएम के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और अब आरएसआर के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी को भी अध्ययन अवकाश लाभ की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. उपर्युक्त आदेश का अनुपालन इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है।"

2.2 इसके पश्चात् राज्य ने खण्ड पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। खण्ड पीठ ने राज्य को समीक्षा आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी।राज्य ने विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किए, जो ख़ारिज हो गए। बाद में राज्य ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों और आदेश के खिलाफ खण्ड पीठ के समक्ष फिर से अंतर-न्यायालय अपील दायर की, जिसमें रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई और यह अभिनिर्धारित किया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं अपने प्रशिक्षण की अवधि को उसके लिए अनुज्ञेय अवकाश पर उपचार अधिकारी हैं। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अंतर-न्यायालय अपीलों को स्वीकार किया है और विद्वत एकल न्यायाधीश के पहले के निर्णयों को अनुमोदित करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि सेवारत उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर बिताई गई अवधि को प्रतिनियुक्ति पर होने की अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा और केवल उम्मीदवारों को देय अवकाश पर ही माना जाएगा। अंतर-न्यायालय अपीलों के लंबित रहने के दौरान, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अवमानना के खतरे के अंतर्गत, मूल रिट याचिकाकर्ताओं को निश्चित भुगतान किया गया था इसलिए यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रशिक्षण की अवधि को उसके लिए अनुज्ञेय अवकाश की अवधि के रुप में माना जाना चाहिए, खण्ड पीठ ने है भी निर्देशित कि राज्य को मूल रिट याचिकाकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान दिये गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की स्वतंत्रता होगी।

2.3 भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली के लिए राज्य के पक्ष में स्वतंत्रता आरक्षित करते हुए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्रस्तुत किया है।

3. शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों में नोटिस जारी किया है, जो मूल रिट याचिकाकर्ताओं से राशि की वसूली के पहलू तक सीमित है, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में निर्देश दिया गया है और इस बीच वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, एकमात्र मुद्दा जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या मूल रिट याचिकाकर्ताओं से राशि की वसूली होगी, जैसा कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में निर्देश दिया गया है ।

4. ए. श्री आर. के. सिंह, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह, (2015) 4 एस. सी. सी. 334 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर काफी भरोसा किया है। पूर्वोक्त निर्णय पर निर्भर करते हुए, यह जोरदार रूप से कथन किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना और अभिनिर्धारित किया गया है कि श्रेणी III और श्रेणी IV सेवा (समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली की अनुमति नहीं है।

4.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वत वकील ने प्रार्थना की और प्रस्तुत किया कि चूंकि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता वर्ग III और वर्ग IV पदों पर सेवारत हैं, इसलिए पहले से ही अधिक

भुगतान की गई राशि राज्य द्वारा वसूल नहीं की जा सकती है । विकल्प में, यह प्रार्थना की जाती है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को अधिक भुगतान की गई राशि को चुकाने के लिए उचित मासिक किस्तें दी जाएं।

5. राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कथन किया है कि रफीक मसीह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यह कथन किया जाता है कि पूर्वोक्त मामले में राज्य/राज्य प्राधिकारियों द्वारा गलती से कर्मचारियों को राशि का भुगतान किया गया था, जिसे वसूल करने की मांग की गई थी और उन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने पाया और यह माना कि भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली कक्षा III और कक्षा IV सेवा (समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों के मामले में अननुज्ञेय है । यह कथन किया जाता है कि वर्तमान मामले में, ऐसा मामला नहीं है जहां राज्य या राज्य प्राधिकारियों द्वारा गलती से अधिक राशि का भुगतान किया गया था बल्कि अतिरिक्त राशि का भुगतान अवमानना की कार्यवाही से बचाव के तहत विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में किया गया था, जिसे अब खण्ड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह कथन किया जाता है कि एक बार विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जिसके अनुसरण में मूल रिट याचिकाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया गया और खण्ड पीठ द्वारा उस आदेश को रद्द कर दिया गया, तो आवश्यक परिणाम सामने आएंगे और प्रतिपूर्ति के सिद्धांत पर, राज्य अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली करने का हकदार होगा ।

5. 1 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल (2020) 8 एससीसी 129 (पैराग्राफ 334 से 336) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1984) 3 एससीसी 439 के मामले में इस न्यायालय के पारित निर्णयों पर भरोसा किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 648 में दिये गए प्रतिस्थापन के सिद्धांत को रिपोर्ट किया गया।

5. 2 उपर्युक्त प्रस्तुतियों और पूर्वोक्त निर्णयों, विशेष रूप से प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने राज्य को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रूप से कहा है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को उचित किस्त दी जा सकती है, जिसे खण्ड पीठ ने भी आक्षेपित फैसले में पाया है ।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

प्रारंभ में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थियों को अधिक भुगतान की गई राशि राज्य/राज्य प्राधिकारियों की ओर से किसी गलती के कारण नहीं थी। अतिरिक्त राशि का भुगतान विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में किया गया है, जिसे बाद में खण्ड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है इसलिए, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और अपास्त करने पर, जिसके तहत मूल रिट याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था, आवश्यक परिणाम का

पालन किया जाना चाहिए । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पहले से ही अधिक भुगतान की गई राशि का भुगतान राज्य द्वारा गलती से नहीं किया गया था, बल्कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया है, रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा । इस न्यायालय का उक्त निर्णय केवल उस मामले में लागू हो सकता है जहां राशि का भुगतान राज्य/राज्य प्राधिकारियों द्वारा गलती से किया गया है और यह पाया गया है कि कर्मचारी की ओर से कोई गलती नहीं थी और/या कोई गलत विवरण दिया गया था और संबंधित कर्मचारी गलती से भुगतान की गई इस तरह की अतिरिक्त राशि के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया है। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अधिक भुगतान की गई राशि, जिसे खण्ड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस की जानी है और/या वापस की जानी है, जिसे राज्य उनसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के अनुसार वसूल करने का हकदार है ।

6. 1 इस स्तर पर, प्रत्यास्थापन के सिद्धांत पर इंदौर विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स (उपर्युक्त) के मामले में पहले के निर्णय और प्रत्यास्थापन के सिद्धांत पर अन्य निर्णयों पर विचार करने के बाद, पैराग्राफ 335 से 336 में निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया हैः

"प्रतिदान का सिद्धांत

335. प्रत्यास्थापन का सिद्धांत मुकदमेबाजी के अंत में पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर आधारित है और मुकदमेबाजी व मामले में पारित अंतरिम

आदेश, यदि कोई हो, के लिए पक्षकारों को उसी स्थिति में रखा जाना है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 648 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी पक्षकार मुकदमेबाजी का लाभ नहीं उठा सकता। यदि मुकदमा हार जाता है तो विलम्ब के कारण प्राप्त लाभ को उसे समाप्त करना होगा। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है। किसी पक्षकार के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में सफल पार्टी के खिलाफ अंतिम आदेश किये जाने की स्थिति में उलट जाती है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पुनर्स्थापना का स्रोत नहीं है, यह न्याय और निष्पक्षता के नियम की वैधानिक मान्यता है। न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए प्रत्यास्थापन का आदेश देने निहित अधिकार क्षेत्र है। यह इस सिद्धांत पर भी है कि एक गलत आदेश को जीवित रखकर और उसका सम्मान करके कायम नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों ने उन असंख्य स्थितियों में प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को लागू किया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 144 के निबंधनों के अंतर्गत नहीं आती हैं। मुकदमेबाजी को उत्पादक उद्योग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां प्रत्येक मामले में संयोग का तत्व है, वहां मुकदमेबाजी को खेल तक कम नहीं किया जा सकता। यदि प्रत्यास्थापन की अवधारणा को अंतरिम आदेशों के लिए आवेदन से बाहर रखा जाता है, तो वादकारी को अंतरिम आदेश से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त कर लेने से लाभ होगा।

इस न्यायालय ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स [साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 8 एससीसी 648] (एससीसी पृष्ठ 662-64, पैराग्राफ 26-28) में यह मत व्यक्त किया है कि-

26. इस प्रकार हमारी राय में, प्रतिदान का सिद्धांत इस प्रस्तुति का ध्यान रखता है। प्रत्यर्पण शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में किसी डिक्री या आदेश के उपांतरण, परिवर्तन या प्रतिस्थापन पर किसी पक्षकार को वह वापस करना है जो न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में या किसी डिक्री या आदेश के प्रत्यक्ष परिणाम में उससे खो गया है (देखें जफर खान बनाम राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, 1984 सप्लीमेंट एससीसी 505)। कानून में, 'प्रत्यास्थापन'शब्द का उपयोग तीन अर्थों में किया जाता हैः किसी अन्य व्यक्ति को किए गए गलत कार्य से प्राप्त लाभों के लिए मुआवजा और किसी अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजा या क्षतिपूर्ति। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7वां संस्करण, पृ.1315) है। जॉन डी. कालामारी और जोसेफ एम. पेरिलो द्वारा संविदाओं के कानून को ब्लैक द्वारा यह कहने के लिए उद्धृत किया गया है कि “क्षतिपूर्ति” एक अस्पष्ट शब्द है, जो कभी-कभी किसी चीज को बाहर निकालने का उल्लेख करता है और कभी-कभी किए गए नुकसान के लिए मुआवजे का उल्लेख करता हैः

अक्सर, शब्द के दोनों अर्थों के तहत परिणाम एक ही होगा। अन्यायपूर्ण निर्धनता, साथ ही अन्यायपूर्ण समृद्धि, क्षतिपूर्ति के लिए एक आधार है।यदि प्रतिवादी गैर-अपकृत्यकारी गलत व्यपदेशन का दोषी है, तो वसूली का उपाय कठोर नहीं है, लेकिन प्रत्यास्थापन के अन्य मामलों की तरह, सापेक्ष गलती, जोखिम पर सहमति और वैकल्पिक जोखिम आवंटन की निष्पक्षता पर सहमति नहीं है और किसी भी पक्ष की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है।

प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। धारा 144 सीपीसी न केवल किसी डिक्री को परिवर्तित, उलट, अपास्त या संशोधित किए जाने के बारे में

बात करती है, बल्कि इसमें एक डिक्री के बराबर का आदेश भी शामिल है। उपबंध का दायरा इतना व्यापक है कि उसमें किसी डिक्री या आदेश के लगभग सभी प्रकार के परिवर्तन, प्रतिवर्तन, अपास्त करना या उपांतरण को सम्मिलित किया जा सकता है। जब न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है और किसी पक्षकार के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में सफल पार्टी के खिलाफ अंतिम निर्णय होने की स्थिति में उलट जाती है।

27. यह भी इस सिद्धांत पर है कि गलत आदेश नहीं होना चाहिए इसे जीवित रखकर और इसका सम्मान करके कायम रखा| अरूणागिरी आदेश बनाम एस. पी. रथिनासामी [ए. अरुणागिरी आदेश बनाम एस. पी. रथिनासामी, 1970 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड. 63]। ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों ने उन असंख्य स्थितियों में प्रतिस्थापन के सिद्धांतों को लागू किया है जो धारा 144 की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

28. न्यायालय के किसी कार्य से कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा, यह नियम न्यायालय के किसी त्रुटिपूर्ण कार्य तक ही सीमित नहीं है, न्यायालय के कार्य में ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जिनके बारे में न्यायालय किसी विधिक कार्यवाही में यह राय बना सकता है कि यदि उसे तथ्यों और विधि से सही रूप से अवगत कराया गया होता तो न्यायालय इस प्रकार कार्य नहीं करता........ तो वादकारी अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने वाले लाभों को निगलकर लाभ उठाने के लिए खड़ा हो जाएगा, भले ही युद्ध हार गया हो। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।- अतः हमारी यह राय है कि सफल पक्षकार मुकदमे के अंत में धन के रूप में निर्धारणीय राहत का हकदार है और वह उस अवधि के

लिए उपयुक्त उचित दर पर ब्याज देकर क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है जिसके लिए धन की रिहाई को रोकने वाला न्यायालय का अंतरिम आदेश प्रवर्तन में रहा था।

(जोर दिया गया)

336. गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड [गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 522:(2012) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 182] में यह मत व्यक्त किया गया था कि प्रतिपूर्ति का सिद्धांत अन्यायपूर्ण समृद्धि या अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध एक उपचार है। न्यायालय ने कहाः(एससीसीपी पृष्ठ 542, पैरा 61-62)

61. पुनर्स्थापन की अवधारणा वस्तुतः एक सामान्य विधि सिद्धांत है और यह अन्यायपूर्ण समृद्धि या अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध एक उपचार है। इस अवधारणा का मूल न्यायालय की अंतरात्मा में निहित है, जो एक पक्ष को दूसरे से प्राप्त धन या कुछ लाभ को रखने से रोकता है, जो उसे अदालत की गलत डिक्री के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी कानून में ऐसा उपचार आमतौर पर अनुबंध या अपकृत्य में एक उपचार से अलग होता है और कॉमन लॉ उपचार की तीसरी श्रेणी के भीतर आता है, जिसे अर्ध-अनुबंध या पुनर्स्थापन कहा जाता है। यदि हम प्रत्यास्थापन की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पुनर्स्थापन की बाध्यता उस व्यक्ति या प्राधिकारी पर निहित है जिसे अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है (देखिए हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड 9)।पी।(434)।उक्त निर्णय में, आगे यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यास्थापन सिद्धांत इस विचार को

मान्यता देता है और उसे आकार देता है कि न्यायालय के आदेशों के कारण, किसी वादकारी द्वारा प्राप्त लाभों को उसके इशारे पर कायम नहीं रखा जाना चाहिए।

6. 2 औसेफ मथाई बनाम एम. अब्दुल खादिर के मामले में, जो (2002) 1 एस. सी. सी. 319 में रिपोर्ट किया गया था, यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि मुकदमा खारिज होने के बाद, संबंधित पक्षकार उस स्थिति में चला जाता है जो न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले विद्यमान थी जिसने स्थगन मंजूर किया था।

6. 3 अन्यथा भी, किसी को न्यायालय द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ उठाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, जिसे बाद में उच्चतर न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार, किसी भी पक्ष को अदालत के आदेश के कारण पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

7. यहां तक कि, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रतिस्थापन का उपबंध करती है। सीपीसी की धारा 144 इस प्रकार हैः

> "144. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन-(1) जहां और जहां तक किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में परिवर्तन या परिवर्तन किया जाता है या इस प्रयोजन के लिए मुकदमा किसी वाद में अपास्त या उपांतरित किया जाता है, वहां डिक्री या आदेश पारित करने वाला न्यायालय, प्रतिस्थापन या अन्यथा के रूप में किसी लाभ के हकदार किसी पक्षकार के आवेदन पर, जहां

तक हो सके, ऐसी डिक्री या आदेश के लिए या उसके ऐसे भाग के लिए, जो परिवर्तित, उलट दिया गया है, अपास्त या उपांतरित किया गया है, पक्षकारों को उस स्थिति में प्रत्यास्थापन कराएगा जिसमें वे अधिभोग में होते, किंतु इस प्रयोजन के लिए, संपत्ति के ऐसे परिवर्तन, प्रतिस्थापन और ब्याज, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति और प्रतिकर के भुगतान की लागत सहित कोई भी आदेश कर सकता है, जो इस तरह के परिवर्तन, प्रतिस्थापन या संशोधन पर पारिणामिक लाभ हैं।

स्पष्टीकरण-खंड (1) के प्रयोजनों के लिए वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें

(क) जहां अपील या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में डिक्री या आदेश में परिवर्तन किया गया है या मुकदमा दिया गया है, वहां प्रथमतः न्यायालय

(ख) जहां डिक्री या आदेश को एक अलग मुकदमे द्वारा रद्द कर दिया गया है, वहां प्रथम दृष्टया न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया

(ग) जहां प्रथम दृष्टया न्यायालय का अस्तित्व समाप्त हो गया है या समाप्त हो गया है इसे निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय जो, यदि सूट जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था बनाने के समय स्थापित किया गया था डिक्री या

आदेश पारित किया गया था बनाने के समय स्थापित किया गया था इस खंड के तहत बहाली के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा

2 खंड (1) के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त की जा सकने वाली कोई प्रतिपूर्ति या अन्य राहत अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई वाद मुकदमा नहीं किया जाएगा।"

8. वर्तमान मामले में, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया है और इसलिए धारा 144 सीपीसी को लागू करके, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में भुगतान की गई राशि, जिसे खण्ड पीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस/वापस किए जाने की आवश्यकता है.

इसलिए, इसमें ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ मूल रिट याचिकाकर्ताओं से अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल करने के लिए राज्य के पक्ष में स्वतंत्रता को आरक्षित करना आत्यन्तिक रूप से उचित है । यह ध्यान देने योग्य है कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए भी, खण्ड पीठ ने पाया है कि इसे आसान समान किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए।

9 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए राज्य के पक्ष में स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हालांकि, साथ ही, राशि को

आसान समान किस्तों में वसूल करने के लिए मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रार्थना पर विचार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार, मूल रिट याचिकाकर्ताओं से जो भी राशि का भुगतान किया जाता है, उसे मूल रिट याचिकाकर्ताओं से 36 समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाए, जिसे अप्रैल, 2022 से उनके वेतन से काटा जाएगा।

10. तत्काल अपीलों का तदनुसार पूर्वोक्त निबंधनों में निपटान किया जाता है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

**न्यायाधीश [एम. आर. शाह]**

**न्यायाधीश [बी. वी. नागरत्ना]**

नई दिल्ली - 29 मार्च, 2022

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translators)

Disclaimer:- The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.